# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर (उत्तर)

राजस्व विविध प्रार्थनापत्र संख्या /2020

प्रार्थीगण

01 नरसिंह राम पुत्र स्व खीयाराम
02 भलाराम पुत्र स्व खींयाराम
03 श्रीमती धापू पत्नि स्व खींयाराम
04 गुटी पुत्री स्व खींयाराम
05 शांति पुत्री स्व खींयाराम
06 बेबी पुत्री स्व खींयाराम के कायम मुकामान
6/1– तनु पुत्री भोमाराम –बेबी
6/2– नवीन पुत्र भोमाराम –बेबी

नाबालिग जरिये सरंक्षक श्रीमति धापू पत्नि स्व खींयाराम जी जातियान जाट निवासीगण नैणो की ढाणी डिगाडी तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण

01 गोदाराम पुत्र सुजाराम
02 बोराराम पुत्र श्री चुतराराम
03 चन्द्राराम पुत्र श्री चुतराराम जी जातियान जाट निवासीगण नैणो की ढाणी डिगाडी तहसील व जिला जोधपुर।
04 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जोधपुर।

आदेश

दिनांक– 12/4/21

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 एक ही परिवार के सदस्य है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 02 से 03 के पिता के व अप्रार्थी संख्या 01 की सह खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम नान्दडा कल्ला (वर्तमान मे गांव श्रीयादे नगर) के खसरा नम्बर 90/2 रकबा 11.4 बीघा, एंव खसरा नम्बर 91 रकबा 43.7 बीघा बहैसियत खातेदार आई हुई है।

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

एवम् जमाबन्दी (खतौनी) ग्राम नान्दडा कल्ला पटवार क्षैत्र नान्दडा कल्ला भू अभिलेख निरीक्षक जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर सम्वत् 2033 से 2036 मे " चुतरा, खींया, गोदाराम, पिता सुजाराम जाट सा. देह खातेदार इन्द्राज है। संवत 2046 से 2049 तक राजस्व रेकार्ड मे इस नाम की प्रविष्टियॉ चली आ रही है, जमाबन्दी सम्वत् 2046 से 2049 की प्रविष्टि इस प्रकार है। मांगीलाल, उदाराम, नारायणराम पि गुणेशराम, देराम, सोनाराम पि मंगाराम, चुतराराम, खींयाराम, गोदाराम पि सूजाराम कोम जाट सा देह खातेदार"। जमाबन्दी सम्वत् 2050 से 2053 में इन्द्राज प्रविष्टि इस प्रकार है –" लादूराम, खियाराम, बोराराम, पि. मांगीलाल, उगमाराम, हडमानराम, छगनाराम पि. पेमाराम, माडी बेबा मांगीलाल, सुवा बेबा पेमाराम, उदाराम, नारायणराम पि गुणेशराम, भंवरलाल, अणदाराम, गोकलराम, मोडाराम, केशाराम पि देराम, अणची बेबा देराम, सोनाराम पुत्र श्री मंगाराम, बोराराम, चन्द्रराम पि. चुंतराराम, फुली बेबा चुतराराम कौम जाट सा देह खातेदार, म्यूटेशन नम्बर 365 व 393"। जमाबन्दी की प्रविष्टि मे नामान्तरकरण संख्या 393 के जरिये देराम फौत होने पर उसके उत्तराधिकारी के नाम इन्द्राज हुये है।, नामान्तरकरण संख्या 365 के जरिये मांगीलाल, मांगीलाल का लडका पेमाराम एंव चुतराराम के फौत होने पर उनके उत्तराधिकारियो के नाम इन्द्राज हुये है। जमाबन्दी संवत 2050 से 2053 मे हल्का पटवारी की भूल से जमाबन्दी सम्वत् 2046 से 2049 मे इन्द्राज नाम चुतराराम, खींयाराम, गोदाराम पि. सूजाराम मे से खींयाराम व गोदाराम इन्द्राज होने से रह गया है। प्रार्थी संख्या 1 से 6 खींयाराम के वारिसान है। अप्रार्थी संख्या 01 गोदाराम स्वंय है एंव अप्रार्थी संख्या 2 व 3 चुतराराम के वारिसान है। प्रार्थीगण के पिता/पति खींयाराम का देहान्त दिनांक 21.12.2010 को हो गया, प्रार्थीगण एक मात्र प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी होने के कारण वारिसान है इनके अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं है। हल्का पटवारी द्वारा संवत 2050 से 2053 की जमाबन्दी तैयार करते समय भूल को बाद के तैयार चौसाला मे दोहराई गई है। भूलवश से प्रार्थीगण के पिता खींयाराम का नाम

उपखण्ड अधिकारी
(उत्तर) जोधपुर

प्रविष्टिमे छूट गया है उनके नाम इन्द्राज की शुद्धि हेतू यह प्रार्थनापत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने प्रार्थनापत्र स्वीकार करने मे कोई आपति नहीं होना जाहिर किया गया है। अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश कर जबाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया। दोनो पक्षो को सुना गया व रेकर्ड का अवलोकन किया गया।

रेकर्ड के अवलोकन से यह पाया गया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 02 से 03 के पिता के व अप्रार्थी संख्या 01 की सह खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम नान्दडा कल्ला (वर्तमान मे गांव श्रीयादे नगर) के खसरा नम्बर 90/2 रकबा 11.4 बीघा, एंव खसरा नम्बर 91 रकबा 43.7 बीघा बहैसियत खातेदार आई हुई है। एवम् जमाबन्दी (खतौनी) ग्राम नान्दडा कल्ला पटवार क्षैत्र नान्दडा कल्ला भू अभिलेख निरीक्षक जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर सम्वत् 2033 से 2036 मे " चुतरा, खींया, गोदाराम, पिता सुजाराम जाट सा. देह खातेदार इन्द्राज है। संवत 2046 से 2049 तक राजस्व रेकार्ड मे इस नाम की प्रविष्टियॉ चली आ रही है, जमाबन्दी सम्वत् 2046 से 2049 की प्रविष्टि इस प्रकार है। मांगीलाल, उदाराम, नारायणराम पि गुणेशराम, देराम, सोनाराम पि मंगाराम, चुतराराम, खींयाराम, गोदाराम पि सूजाराम कोम जाट सा देह खातेदार" है। जमाबन्दी संवत 2050 से 2053 मे हल्का पटवारी की भूल से जमाबन्दी सम्वत् 2046 से 2049 मे इन्द्राज नाम चुतराराम, खींयाराम, गोदाराम पि. सूजाराम मे से खींयाराम व गोदाराम इन्द्राज होने से रह गया है। प्रार्थीगण के पिता व पति खींयाराम का देहान्त दिनांक 21.12.2010 हो जाने के कारण प्रार्थीगण प्रथम श्रेणी के वारिसान है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र एवम् सम्पूर्ण रेकार्ड के अवलोकन से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है एवम् तहसीलदार को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम श्रीयादे गांव पटवार क्षैत्र नान्दडा कल्ला तहसील जोधपुर की जमाबन्दी सम्वत्

उपखण्ड अधिकारी
(उत्तर) जोधपुर

2047 से 2077 नया खाता संख्या 36 पुराना खाता संख्या 119 मे इन्द्राज खसरा नंबर 90/2 रकबा 11 बीधा 04 बिस्वा के सह खातेदार बोराराम, चन्द्राराम, पुत्र चुतराराम, मीरा, चुन्नी, मुन्नी, पुत्रिया चुतराराम के साथ मे ही नरसिंहराम, भलाराम पुत्र खींयाराम, धापू पत्नी खींयाराम, गुटी, शांति, मृतक बेबी के वारिसान (तनु पुत्री –बेबी एवम् नवीन पुत्र –बेबी) पुत्रीया स्व खीयाराम का नाम इन्द्राज किया जावे। इसी प्रकार राजस्व ग्राम श्रीयादे गांव पटवार क्षैत्र नान्दडा कला तहसील जोधपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 नया खाता संख्या 37 व पुराना खाता संख्या 119 मे दर्ज खसरा नंबर 91 रकबा 43.07 बीधा के सह खातेदार बोराराम, चन्द्राराम पुत्र चुतराराम, मीरा,चुन्नी, मुन्नी, पुत्रीया चुतराराम के साथ मे ही नरसिंहराम, भल्लाराम, पुत्र खींयाराम, धापू पत्नि खींयाराम, गुटी, शांति, मृतक बेबी के वारिसान (तनु पुत्री –बेबी एवम् नवीन पुत्र –बेबी) पुत्रीया स्व खीयाराम का नाम इन्द्राज किया जावे।

पंकज कुमार
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

आदेश आज दिनांक 12/4/24 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षित कर सुनाया गया।

12/4/24

पंकज कुमार
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)